प्रपत्र–2

कार्यालय:जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा,सीकर

क्रमांक–जिशिअ/प्राशि/सी/मान्यता/आरटीई/2012/976 दिनांक– 27/1/12

अध्यक्ष/प्रबधक,

प्रबंध समिति,

सेन्ट्रल टैगोर पब्लिक स्कूल समिति

विषय:– नियम 8–क के उप –नियम (4)के अधीन विघालय के लिए मान्यता प्रमाणपत्र ।

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन दिनांक ....19-09-2011 और इस संबध में विघालय के साथ किये गये पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार /निरीक्षण के संदर्भ मे मै ऐक्सीलेंस इंग्लिस एकेडमी रींगस (प्रा०) (विघालय का नाम और पता) को .... से .... तक तीन वर्ष की कालावधि के लिए कक्षा 1 से........5.........तक के लिए अन्तरिम मान्यता मंजूर करता हैं।

उक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो की पूर्ती के अध्यधीन होगी

1. मान्यता के लिए मंजूरी विस्तारणीय नही होगी और किसी भी तरह कक्षा–8 से आगे मान्यता /सम्बद्वता की कोई बाध्यता अन्तर्हित नही होगी।
2. विघालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम स.35) और राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम,2011 के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विघालय ,कक्षा–1 मे या ,यथास्थिति ,पूर्व विघालय कक्षा मे 2009 के अधिनियम के अनुसार उस कक्षा की छात्र–संख्या की सीमा तक आस पड़ौस के कमजोर वर्ग और अभाव ग्रस्त समूह से संबधित बालको को प्रवेश देना और उसकी समाप्ति तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा –3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विघालयो को राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम,2011 के उपबन्धों के अनुसरण में प्रतिपूर्ति की जायेगी । ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए विघालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी /विघालय कोई प्रतिव्यक्ति फीस संग्रहीत नही करेगा और बालक या उसके माता –पिता या संरक्षक को किसी छंटाई प्रकिया का पात्र नही बनायेगा।
6. विघालय आयु के सबूत के अभाव में किसी बालक के प्रवेश से इनकार नहीं करेगा और 2009 के अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विघालय यह सुनिश्चत करेगा कि:–
   (A) विघालय में प्रविष्ट किसी बालक को विघालय में उसकी प्रारंभिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी कक्षा मे रोका या विघालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा,
   (B) कोई बालक शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीडन का पात्र नही होगा,
   (C) किसी बालक से उसकी प्रारभिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नहीं होगा,
   (D) प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम,2011केनियम 23के अधीन यथा–अधिकथित प्रमाणपत्र प्रदान किया जायेगा,
   (E) 2009 के अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निर्योग्यता/विशेष आवश्यकता के विद्यार्थियो को सम्मिलित किया जाये,
   (F) अध्यापक ,2009 के अधिनियम की धारा 23 की उप–धारा (1)के अधीन अधिकथित न्यूनतम अर्हताओ सहित भर्ती किये जायें,परन्तु वर्तमान अध्यापक ,जो 2009 के अधिनियम के प्रारंभ पर

SECRETARY
CENTRAL TAGORE PUBLIC SCHOOL SAMITI
REENGUS (SIKAR-RAJ.)

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

न्यूनतम अर्हताए नही रखते है,वे 2009 के अधिनियम की धारा 23 के परन्तुक के उपबधो के अनुसार ,5 वर्ष की कालावधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताए अर्जित करेगे,

(G) अध्यापक 2009 के अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा (1)के अधीन विनिर्दिष्ट उनके कर्तव्यो का निर्वहन करते है, और

(H) अध्यापक स्वयं को निजी अध्यापक कियाकलापो मे नही लगायेगे।

7. विद्यालय,समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यकम के आधार पर पाठ्यविवरण का अनुसरण करेगे।

8. विद्यालय ,2009 के अधिनियम की धारा 19 मे यथा विनिर्दिष्ट मान और मानको का अनुरक्षण करेगे। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी सुविधाए निम्नानुसार है

(1) विद्यालय परिसर का क्षेत्र 1500 m^2 (2)कुल निर्मित क्षेत्र 16,000 F^2

(3) खेल-कूद के मैदान का क्षेत्र हाँ (4) कक्षा के कमरो की सख्या 9

(5) प्रधानाध्यापक एवं कार्यालय एवं भंडार कक्ष 1-1

(6) लडके और लडकियों के लिए पृथक-पृथक शौचघर हाँ

(7) पीने के पानी की सुविधा हाँ (8) मिड डे मील पकाने के लिए रसोईघर नहीं

(9)अवरोध विज्ञता सामग्री/खेल कूद उपस्कर/पुस्तकालय की उपलब्धता हाँ

9. विद्यालय परिसर के भीतर और बाहर उसी नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाए नही चलायी जायेगी।

10. विद्यालय भवन या अन्य सरचनाए या मैदान केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए उपयोग मे लिए जायेगे।

11. विद्यालय,सोसाइटी रजिस्टीकरण अधिनियम,1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम स.21),राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम ,1958 (1958 का अधिनियम स.28) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जाता है।

12. विद्यालय ,किसी व्यक्ति ,व्यक्तियो के समूह या सगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नही चलाया जाता है।

13. किसी चार्टड एकाउंटेट द्वारा लेखों की संपरीक्षा और उन्हे प्रमाणित किया जायेगा और नियमो के अनुसार समुचित लेखा विवरण तैयार किया जायेगा । प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को प्रतिवर्ष भेजी जावेगी।

14. आपके विद्यालय को आंवटित मान्यता कोड संख्या SMPR-185 है। कृपया इसे नोट किया जाये और इस कार्यालय के साथ पत्र व्यवहार के लिए इसे उत्कथित किया जाये।

15. विद्यालय ,ऐसी रिपोर्ट और सूचना देगा जिनकी निदेशक ,प्रारंभि शिक्षा/जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षा की जाये और राज्य सरकार /स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता की शर्तो को लगातार पूरा करने या विद्यालय कार्यकरण मे त्रुटियो का हटाया जाना सुनिश्चित करने के लिए उसके द्वारा जारी किये जाये।

16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण ,यदि कोई हो ,सुनिश्चित करें।

17. अन्य शर्ते संलग्न परिशिष्ट के अनुसार हैं।

नोट → R.T.E. के समस्त मानदण्ड 31 मार्च, 2013 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने होंगे।

28/11/12

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा ,सीकर

SECRETARY
CENTRAL TAGORE PUBLIC SCHOOL SAMITI
REENGUS (SIKAR-RAJ.)

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner